

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-33 / एफ.09 / 2025 / 14

दिनांक 24/01/25

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों के राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर मर्यान्ध पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/ पद श्री/ श्रीमति/ सुश्री	पदस्थापन स्थान/ जिला	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	दिनेश चन्द शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली	01.02.1965	22.02.1985	सेवानिवृत्ति 31.01.2025

कर्मचारी के विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33 / एफ.09 / 2025 / 14

दिनांक 24/01/25

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
- प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- दिनेश चन्द शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जावे।
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर